क्रमांक 5709-2 जी.एस. 71/33943

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, कमिशनर अम्बाला मंडल, और सभी डिप्टी कमिश्नर। दिनांक चण्डीगढ़ 20 दिसम्बर 1971।

विषय :—राज्य के सभी भिन्न-भिन्न सेवाओं के भरती तथा सेवा शर्तों के नियम।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की कुछ सेवाओं के सेवा नियम को संविधान की धारा 309 के अन्तर्गत बनाये जाने चाहिए अभी तक नहीं बनाए गए हैं। इस विषय पर आपका ध्यान क्रमांक 2687-2 जी.एस.-69/10199, दिनांक 17-5-69 की ओर दिलाया जाता है जिसके द्वारा सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया था कि जिन पदों के सेवा नियम अभी तक नहीं बने हैं, उनके नियम 6 मास के अन्दर-अन्दर तैयार करवा लिये जाएं।

2. सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ पदों के सेवा नियम अभी तक नहीं बने हैं। अतः सभी विभागाध्यक्षों का ध्यान पुनः उपरोक्त अनुदेशों की ओर दिलाया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि जिन पदों के सेवा नियम अभी नहीं बने हैं वे शीघ्रातिशीघ्र बनाए जाएं। कृपया इस बारे में सूचना कि आपने बहुत जिन पदों के सेवा नियम अभी तक नहीं बनाए गए हैं, भी सरकार को भेजी जाए ऐसे सेवा नियम जो बहुत पुराने हैं या स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले के समय के होने कारण अप्रचलित हो गए हैं उन्हें भी फिर से बनाने की आवश्यकता है।

भवदीय,

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति वित्तायुक्त (राजस्व) हरियाणा एवं सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।

1. वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।